यह फैसला किया है, जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है, कि जो काम नहीं करेगा उस को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और जो रेल में गड़बड़ करेगा उस के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : लोको मैन को भी आप ले आए हैं। मैंने इसको अलग रखा था। 357 का भी आपने इस में जिक्र कर दिया है इसको भी अब साथ ही ले लेते हैं।

Gist of demands of loco staff accepted by Government

*357. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI G. Y. KRISHNAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of man days lost and the extent of loss of revenue suffered by the Railways as a result of the locomen strike in the month of December, 1973; and

(b) the gist of the demands of the loco running staff accepted by Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD SHAFI QURESHI): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The number of man days lost and the extent of loss of revenue suffered by the Railways as a result of the locomen's strike in the month of December, 1973, are 2.24 lakhs and Rs. 6.11 crores respectively.

(b) The understanding on which the Loco Running Staff called off their agitation in December, 1973 and action taken thereon is as follows:

1. There will be no victimisation or any penal action. It has been accepted that just for trade union activities there will be no victimisation or any penal action.
2. The Loco Running Staff Grievances Committee (Mohd. Shafi Qureshi Committee) should meet soon after—accordingly a meeting was arranged on 28th December, 1973 at 11.00 A.M. to look into the earlier and present grievances of the Association and it was also attended by Shri L. N. Mishra, Railway Minister.
3. That all those arrested should be released and warrants and connected cases withdrawn—It was accepted in regard to all cases not involving violence and sabotage.
4. That the 10 hour duty should be implemented. It was agreed that the process of implementation of 10-hour duty will be further considered by the Railway Minister and the Labour Minitster in the meeting of 28th December, 73. In that meeting it was accepted that the duty period would be reduced to 10 hours in a phased manner.

श्री नवल किशोर शर्मा : इसी स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है

"Further, representations coming from any source including unrecognised unions are given due consideration and appropriate action is taken in each case".

Then, I would request him to refer to item (6) which reads thus:

"The grievances redressal machinery and implementation cell is being suitably strengthened".

एक ओर आपने सजा की बात कही और दूसरी ओर जो अनरिकागनाइज्ड यूनियंज हैं उनकी ओर से खास तौर पर यह शिकायत की जाती है कि रेलवे बोर्ड और उसके बड़े अधिकारी उन लोगों की शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहां तक कि बहुत सी इस तरह की यूनियंज के अध्यक्ष एम पीज हैं। क्या यह सही है कि एम पीज के पत्रों पर रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर आदि यह कह कर जवाब देने से इन्कार कर देते

है कि यह मामला स्टाफ के रिलेटिड है इसलिए इस में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है ? यदि यह सही है तो क्या आप इस तरह के कारगर कदम उठायेंगे कि लोगों की वाजिब शिकायतें दूर हो सकें ?

आइटम नम्बर 6 में यह है ।

> "The grievances redressal machinery and implementation cell is being suitably strengthened.".

इसके बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं । जवाब जो आपने दिया है वह बड़ा वेग है । क्या इसका आप एक्सप्लेन करेंगे ?

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी : एक बार नहीं कई बार कहा जा चुका है कि रेलवे में दो रिकगनाइज्ड यूनियन हैं जिन के साथ नैगोशियज की जाती है और जिन को मान्यता दी गई है । इसके अलावा रेलवे में सात सौ केटगरीज हैं और कुछ तरीके पर अगर हर कैटेगरी को रिकागनिशन दी जाए तो बहुत मुश्किल हो जायगा । तब भी, इसके बावजूद, भी जो अनरिकगनाइज्ड यूनियनें हैं उनकी नुमाइन्दगी अगर कोई मैम्बर पार्लियामेंट करता है और बैहसियत मैम्बर पार्लियामेंट के उनकी शिकायतों को रेल मन्त्रालय के सामने रखता है तो उसका बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाता है । हाल ही में गार्डज की एजीटेशन हुई । माननीय सदस्य श्री यादव उनकी नुमाइन्दगी कर रहे थे । हम लोगों ने उन से बातचीत की । लेकिन लैबेल और साथ लैबेल की जो शिकायतें हैं उसके लिए डिविजनल तथा जोनल लैबेल पर यह हिदायत दे दी गई है कि अगर अनरिकगनाइज्ड यूनियन भी शिकायतें पेश करे तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए और जहां तक हो सके उसका निपटारा भी हो जाना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने दो परस्पर विरोधी उत्तर दिये हैं । श्री शर्मा के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि 21 करोड़ का नुकसान हुआ है । लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है :

> "The number of man-days lost and the extent of loss of revenue suffered by the Railway as a result of the locomen's strike in the month of December, 1973, are 2.24 lakhs and Rs. 6.11 crores respectively.

इन में से कौन सा आंकड़ा सही है—

अध्यक्ष महोदय : उनका जनरल था, आपका स्पेसिफिक है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शर्मा जी का भी लोको के बारे में है । सवाल को आप देखें । 1973 में लोको कर्मचारियों की विशेष कर लोको मैन की हड़ताल और धीरे काम । सब रेलवे कर्मचारियों का उल्लेख नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि लोको कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए जो कुरैशी कमेटी है उसकी अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं, कितने मुद्दों पर फैसला हो चुका है और क्या यह सच है कि रेल मंत्री ने गार्डों के प्रतिनिधियों को भी कुरैशी कमेटी में शामिल करना मान लिया है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : गार्डज को उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है । जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, शर्मा जी का सवाल था कि 1973 में जितनी हड़तालें हुईं जिस में लोकोमैन भी शामिल हैं उस में कुल कितना नुकसान हुआ ? दिसम्बर के महीने तक 75 हड़तालें हुई हैं जिस में लोकोमैन की स्ट्राइक भी शामिल थी । वाजपेयी जी का जो प्रश्न है वह यह है कि दिसम्बर महीने में जो लोकोमैन की स्ट्राइक हुई उस में कितना नुकसान हुआ । उसका नुकसान 6 करोड़ के करीब है । सब मिलाकर 21 करोड़ के करीब है बल्कि इससे भी ज्यादा है । कमेटी जो मेरी अध्यक्षता में बनी है उसने इस वक्त तक मेरे ख्याल में बारह से ज्यादा मीटिंगें की हैं और तमाम मामले हल हो चुके हैं सिवाय एक के और वह है दस घंटे जो काम करने का प्रोग्राम है उस पर कैसे अमल किया जाए । उसके लिए अगली मीटिंग तीन अप्रैल को मुकर्रर की गई है । उसके

बाद चार डिविजनल में जा कर मौके पर जांच पड़ताल करके यह तय किया जाएगा कि तीन बरस का जो हमने वक्त रखा है इसके लिए हमने भी कम से क्या वह काम हो सकता है या नहीं। बाकी तमाम बातों पर समझौता हो चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट के मैम्बर रेल कर्मचारियों की शिकायतें सामने लाते हैं तो भले ही उनके संगठन मान्यता प्राप्त हो या न हो उन पर रेल मंत्रालय विचार करता है। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब गार्ड बर्क टू रूल नियम पर चल रहे थे उस समय गया स्टेशन पर जब लोक सभा के एक मैम्बर श्री ईश्वर चौधरी गार्डों को ले कर दानापुर के डिविजनल मैनेजर श्री गुलाटी से बातचीत करने के लिए गए तो श्री गुलाटी ने कहा।

"I am not prepared to talk to any bloody MP".

AN HON. MEMBER Bloody MP?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Yes.

उसके बाद मैं गया गया था। मैंने इस बात की पुष्टि कर दी है। क्या रेल अधिकारियों को पार्लियामेंट के मैम्बरों के साथ इस तरह का आचरण करने की छूट दी जाएगी—

श्री रामावतार शास्त्री: ऐसे अधिकारियों को निकाल बाहर करना चाहिये। इस तरह की शिकायतें अकसर हो रही हैं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This is a very serious matter. If what the leader of the Jan Sangh has said just now is true, the Minister has to give an assurance that that officer will be suspended at once. We want a clear and categoric assurance as to what action the Deputy Minister is going to take against this offices who had the cheek to describe an MP like this. The Ministers may be called by that adjective. We do not wish to be called by that

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Ministers are also MPs. We cannot allow officers to describe Members as 'bloody MPs.'.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We want a clear and categoric assurance here by the Railway Minister that that officer will be dealt with firmly. It involves everybody in the House.

MR. SPEAKER: Kindly sit down.

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी: जिस बात की तरफ वाजपेयी जी ने तवज्जह दिलाई है अगर ऐसी बात हुई है तो इतहाई अफसोसनाक है और मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं सदन के मैम्बर की बात पर ज्यादा एतबार करूंगा और अगर इस किस्म की बात हुई है तो जिस अफसर ने यह बात कही है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: पिछले दिनों में यह देखने में आया है कि हड़ताल, 'प्रीमे काम करो' या 'नियमानुसार काम करो' जब शुरू हो जाते हैं तब सरकार उस दिशा में कोई कदम उठाती है, लेकिन तब तक सरकार को काफी घाटा हो चुकता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जायेगी कि इस तरह की हड़ताल या एजीटेशन शुरू होने से पहले ही जब कर्मचारियों की कोई डिमांड सरकार के सामने आये और वह उचित हो तो सरकार उस को मान ले, ताकि घाटा न हो?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी: हड़ताल करना कानूनी हक है। अगर उस के लिए बाकायदा नोटिस दिया जाये, तो उस पर गौर किया जाता है। लेकिन आज कल तो दिन में चार चार, पांच पांच हड़तालें होती हैं और हम को एक मिनट की भी फुरसत नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। यदि कर्मचारी नियम के मुताबिक नोटिस देकर हड़ताल करें, तो इस से पहले कि सरकार को घाटा हो, क्या उन की मांगों को मान लिया जायेगा?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : अगर कोई बात कानून के तहत उठाई जाती है और बाकायदा नोटिस दिया जाता है, तो उस पर पूरा गौर किया जाता है ।

श्री नाथूराम अहिरवार : अभी गार्डों ने 'वर्क टु रूल' चालू किया है, जिस से सरकार को काफी नुकसान हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब तक काम रूल्ज के विरुद्ध चल रहा था; यदि हां, तो क्या उन रूल्ज में संशोधन किया जाएगा, जिस से काम सुचारू रूप से चल सके ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : 'वर्क टु रूल' की यह जो नई इस्तलाह चली है, वह न किसी किताब में और न किसी कानून में दर्ज है । यह तो काम न करने का बहाना है । जब काम न करने की नीयत होती है, तो 'वर्क टु रूल' किया जाता है ।

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Is it a fact that during the last struggle in December 1973 by the locomen one of their main demands was the right to negotiate? Was a categorical assurance given to the loco running staff association that that right would be granted and it was on the basis of that assurance that the strike was called off? From the reply given by the Minister now, it appears that no categorical assurance had been given and the Association has been given the right to make representations through MPs. Was there not a categorical assurance as I mentioned earlier?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: There was no bar for the loco running staff to discuss matters through some hon. Members of Parliament.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Have you given that assurance or not?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: One of the demands was that they should be given the right to negotiate; that they should be recognised as a union. That has been rejected by the Ministry.

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने बताया है कि 1973 में 75 हड़तालें हुई और उन से 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । मैं समझता हूं कि 1973 का वर्ष रेलवे के इतिहास का शायद एक ऐसा वर्ष है, जिस में हड़तालें ही हड़तालें हुई हैं, और कुछ नहीं हुआ है । मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तक हम सख्त नहीं रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में सख्त रहेंगे । इतनी अनुशासनहीनता, 75 हड़तालों और 80 करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद सरकार ने नर्मी का रुख अपनाये रखा । इस के बाद वह सख्त होगी, इस का क्या भरोसा है ? क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई योजना बनायेगी, जिस के अन्तर्गत, यदि कर्मचारियों की मांगों में औचित्य है, तो उन के हड़ताल पर जाने से पहले ही उन के साथ समझौता कर लिया जाये, और साथ ही उन के साथ पांच वर्षों का ट्रूस कर लिया जाये, ताकि स्ट्राइक न हो और रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो; यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैंने पहले ही बताया है कि रेलवे में दो रेकगनाइज्ड यूनियन्ज हैं : ए०आई० आर० एफ० और एन०एफ०आई०आर० । ये सब बातें, जो केटेगरी यूनियन्ज वाले उठाते हैं, वे उन रेकगनाइज्ड यूनियन्ज ने उठा रखी है। बाकायदा तौर पर एक पर्मानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी है, जिन में इन तमाम बातों पर गौर किया जाता है । लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त एक रो चली है कि हर एक केटेगरी यूनियन वही बात उठाना चाहती है, जो रेकगनाइज्ड यूनियन्ज ने पहले ही उठाई हुई है ।

श्री राम सिंह भाई : क्या रेल विभाग में हड़तालें मांगों से पहले होती हैं, या मांगों के बाद होती है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : दोनों बातें होती हैं, लेकिन आम तौर पर हमें हड़ताल का कोई इल्म नहीं होता है और उस से पहले काम बन्द हो जाता है ।

श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्रालय स्वयं चाहता है कि छुटपुट विभागीय हड़तालें हो, ताकि रेलवे फैडरेशन के द्वारा, और जो एक्शन कमेटी बनी है, उस के द्वारा जो छः बड़ी मांगे रखी गई

हैं, उन पर समझौता करने की नौबत न आये और रेलवे में बहुत बड़ी हड़ताल न हो ? क्या मंत्री महोदय की यह मंशा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी नहीं । हमारी यह मंशा नहीं है ।

SHRI THA KIRUTTINAN: I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that a relay fast is going on in front of the General Manager,s Office, Madras, by these Locomen and, if so, what are their demands. Regarding ten hours of duty it was assured in this House that it will be implemented and, so far as the other demands are concerned, the Qureshi Committee was appointed to go into them. May I know whether the Qureshi Committee has considered the other demands and, if so, how many decisions have been taken?

MR. SPEAKER : That is not quite relevant. But if the Minister has got the information and wants to give it, I have no objection.

SHRI MOHD.SHAFI QURESHI: I have no information.

SHRI THA KIRUTTINAN: A relay fast is going on by the Locomen in Madras.

MR. SPEAKER. The main question is about the total loss suffered by the railway in 1973 and you are asking about what is going on currently. If you give notice, he will supply the information.

SHRI BHOGENDRA JHA: May I know whether one of the causes of these strikes is not that the so-called recognised unions within the federation do not represent the workers in many railways. if so, may I know whether the Government is going to introduce a system of "one railways, one union' on the basis of secret ballot ? is it a fact that in the North-Eastren railways an unregistered union is recognised while another registered union of the same name is not recognised and this unlawful act is leading to troubles and strikes?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: We are making efforts to have one union for one industry. That is our endeavour. But, as the position stands, we have today recognised two unions and they continue to represent the employees and their grievances. We are trying to have as suggested by the hon. Member, one union by secret ballot.

SHRI BHOGENDRA JHA: You have recognised an unregistered union, which is unlawful.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: We have not recognised any such union.

Steps Taken to Review and Revise the Prescribed Limits of Election Expenses to be Incurred by Candidates

\+

*346. DR. H.P. SHARMA :
SHRI M. C. DAGA :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the fact that with the increasing costs and decline in the value of the rupee, it is no longer possible for any candidate to fight any parliamentary or Assembly elections within the prescribed limits of election expenses; and

(b) if so, what steps, if any, have been and are being taken to review and revise the prescribed limits of election expenses at realistic levels ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): (a) and (b). There is no proposal under consideration to revise the prescribed limits of election expenses. The limits were increased in January, 1971 on the recommendation of the Election Commission and if and when there is a need for a further upward revision, the same can be affected by amending the rules.

DR. H. P. SHARMA : My Question was to find out from the Government whether they thought it possible for any candidate to fight any Parliamentary or Assembly elections within the prescribed limits of the expenses and the Government's answer is, yes.